

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदकों की सूची

विज्ञापन संख्या – जी-22657 / 20

साक्षात्कार तिथि – 23 / 11 / 2020

साक्षात्कार समय – 11 बजे

साक्षात्कार का स्थान – रिसर्च लेब, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, नेहरू नगर कोलार बायपास रोड, साइंस हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

| क्र.० | आवेदक का नाम | पिता का नाम |
|-------|------------------------|------------------------------|
| 1. | प्रवीण कुमार बारंगे | श्री विनायक राव बारंगे |
| 2. | अंकित सिंह | श्री नरेन्द्र सिंह |
| 3. | विनोद कुमार विश्वकर्मा | श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा |
| 4. | मुजीब | श्री मोहम्मद वसीम खान |

आवश्यक सूचना:-

- (1) प्रदर्शित आवेदकों की सूची प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निर्मित है एवं मूल दस्तावेजों से मिलान के पश्चात् ही अनिवार्य योग्यता इत्यादि शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित होगी।
- (2) साक्षात्कार हेतु विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता धारक आवेदकों को ही आमंत्रित किया गया है।
- (3) साक्षात्कार हेतु बुलाए गए आवेदक किसी भी प्रकार से चयन का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।
- (4) उक्त प्रक्रिया की जानकारी केवल वेबसाइट www.klsgaci.edu.in के माध्यम से ही दी गई है। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त अन्य जानकारी का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- (5) विज्ञापन में ही वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुरूप आवेदक अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज मिलान हेतु एवं एक छायाप्रति (स्वप्रमाणित) लेकर आवें। प्रमुखतः जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र, मान्य पहचान पत्र, अर्हकारी डिग्री/अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, वर्ग/जाति प्रमाण पत्र, की मूल प्रतियाँ साथ लेकर आवें।

- (6) साक्षात्कार के पूर्व आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस/न्यायालय मे कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अद्वशासकीय सेवा मे कार्यरत नहीं है। जिन आवेदको ने आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उन्हें पुनः शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- (7) प्रोजेक्ट अंतर्गत साक्षात्कार हेतु आवेदको को किसी भी प्रकार आवागमन भत्ता/साक्षात्कार भत्ता नहीं दिया जावेगा।
- (8) साक्षात्कार हेतु बुलाए गए सभी आवेदको को (कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य मे) सूचित किया जाता है कि मास्क, सेनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमो का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

-00-

०१